श्री कामेश्वर सिंह (सहायक प्रोफेसर)
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कालेज सासाराम
वर्ग - बी० ए० पार्ट - III (प्रतिष्ठा)
पत्र - VI, यूनिट नं० - 18
राजनीतिक विचारक - डा० पुखराज जैन
दिनांक - 21-05-2020

अरस्तू की नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना :-

अरस्तू की नागरिकता सम्बन्धी विचारों में अनेक त्रुटियाँ हैं। मैक्सी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि उसका नागरिकता सम्बन्धी दृष्टिकोण विशिष्ट रूप से मध्यम वर्ग के अभिजाततन्त्रीय आदर्श से था। उसके नागरिकता सिद्धान्त में निम्नलिखित प्रमुख दोष हैं—

(1) **संकुचित परिभाषा** :- अरस्तू ने नागरिकता की परिभाषा बहुत ही संकुचित रूप से दी है। केवल विधि निर्माण सम्बन्धी और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक हो तो राजतंत्र और कुलीनतंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम होगी।

(2) **आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू न होना** :- अरस्तू द्वारा नागरिकता की परिभाषा आधुनिक प्रजातंत्र पर सही नहीं बैठती। आज का युग प्रजातंत्र का युग है। सभी नागरिक न तो विधि निर्माण के कार्य में भाग ले सकते हैं और न ही न्याय के प्रशासन में।

(3) **श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना** :- अरस्तू श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखता है। नागरिकता का वर्णन करते समय अरस्तू बार-2 नागरिकता की समानता की दुहाई देता है, लेकिन यह कैसी समानता है जिसमें श्रमिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाए।

(4) **बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक** :- अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा के अनुसार राज्य की जनता का बहुसंख्यक भाग अनागरिक ही रहेगा। उसने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले लाभों से पूर्णतः वंचित कर उनकी उन्नति के द्वार सदा-सदा के लिए बंद कर दिए हैं।

Scanned by CamScanner

(5) बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त :—
अरस्तू नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप में शासन में हिस्सा दिलवाना चाहता था जो कि छोटे नगर-राज्यों में ही सम्भव था, किन्तु आज के विशाल प्रतिनिधिक राज्यों में उनका नागरिकता सिद्धान्त एकदम अनुपयुक्त है।

(6) अनेक वर्गों एवं गुटों का उदय :— इनकी धारणा को नागरिकता अपनाने से राज्य में अनेक वर्ग एवं गुटों का उदय हो जायेगा। क्योंकि राज्यों में अशान्ति फैल जायेगी।

(7) धनिक तन्त्रीय दृष्टिकोण :— अरस्तू के अनुसार नागरिकता उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनके पास सम्पत्ति हो। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता या जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे और इसका परिणाम गरीब वर्ग को भुगतना पड़ेगा।

(8) स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना :— अरस्तू के अनुसार स्त्रियाँ बचपन में अपने माता-पिता पर निर्भर रहती हैं। यदि सेवा करती हैं तो मालिक पर निर्भर हो जाती है और शादी के बाद पति पर आश्रित होती है। अतः वे किसी न किसी पर निर्भर होती हैं इसलिए नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई स्त्री किसी पर निर्भर न हो और अच्छी सम्पत्ति की मालिक हो उसकी नागरिकता क्यों नहीं दी जाती? ऐसे प्रश्न पर अरस्तू मौन है।

(9) न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए :— आधुनिक युग में यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और निष्पक्ष न्याय के लिए विधि-निर्माण और न्याय प्रदान करने के कार्य अलग-अलग लोगों के हाथों में केन्द्रित होना चाहिए। अरस्तू इन सभी कार्यों के लिए एक ही प्रकार के लोगों के हाथों में केन्द्रित कर देता है जो आधुनिक युग में सही नहीं है।

(10) अधिकारों के स्थानों पर कर्तव्यों पर बल :— अरस्तू ने नागरिकों के लिए केवल कर्तव्यों पर ही बल देता है, उनके अधिकारों को अनदेखा नहीं किया है जो गलत है।

Scanned by CamScanner

(11) अवकाश और नागरिकता का सम्बन्ध :-

अरस्तू नागरिक को निठल्ला बनाना चाहता है, इसलिए वह नागरिकता का सम्बन्ध अवकाश से जोड़ता है। यह आदर्श की बात है कि नागरिक को धनवान होना चाहिए। अरस्तू का नागरिक दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है।

अतः अरस्तू के नागरिकता सिद्धान्त में अनेक दोष हैं। इबिंग्ज ने ठीक ही लिखा है, "यद्यपि अरस्तू की नागरिकता के सिद्धान्त की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें, तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना असम्भव नहीं।" इस प्रकार राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया एवं एक बहुसंख्यक भाग के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यह पूँजीपति वर्ग के सुख सुविधाजनक जीवन के निर्माण का साधनमात्र बना रहे।

The End.

Scanned by CamScanner